तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 130/2022 बअनवान नारायणदास बनाम श्रीयादेजी मन्दिर, जरिये पुजारी निर्मलदास वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 14.12.2022

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री जोगराज पोटलिया
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी तहसील सिणधरी के मौजा भुका वगतसिंह में खसरा संख्या 26/1 रकबा 6.6419 हैक्टयर का आया हुआ है। उक्त आराजी अपीलांटगण की खरीदसुदा है और अपीलांटगण का कब्जा काश्स चला आ रहा है। वादीगण के खेत के पड़ौस में प्रतिवादी संख्या 01 श्रीयादेजी का मन्दिर आया हुआ है जिनके पुजारी निर्मलदास जो अपने हिस्से में जो रकबा है उनसे अधिक हिस्से मे अपना कब्जा व अपनी बाड को बढा रहे है, जिसके लिये वादीगण ने कई बार मना भी किया लेकिन मन्दिर पुजारी व उनके शिष्यों के द्वारा लगातार अपने कब्जे की बाड़ को बढा कर विस्तार किया जा रहा है। मौके पर खड़े बड़े जाल के पेड़ों को काटा जा रहा है और सीणों को खड़ा कर बाड़ को बढाया जा रहा है। इसलिए मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। जिस पर वादीगण के द्वारा दिनांक 04.02.2022 को तहसील कार्यालय सिणधरी में उपरोक्त आराजी का सीमाज्ञान करने के लिये आवेदन किया गया है जो अभी तक तहसील कार्यालय में लम्बित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आराजी की नेखमबंदी करने हेतु आवेदन पेश कर रखा है। अपीलाधीन आराजी पर रेस्पोडेंटस के हस्तक्षेप को रोकने के लिए अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष वाद मय आवेदन पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उभयपक्षकारान के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते रेस्पोडेंटस के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संतुलन अपीलांटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांटगण की आराजी में किसी प्रकार से कोई कब्जा नहीं किया जा रहा है तथा रेस्पोडेंटस स्वयं की खातेदारी भूमि में ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। हमारे खातेदारी के खेत की नेखमबंदी हो रखी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसमें स्पष्ट आया है कि "मौजा वगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. 26 व 26/1 की मौके की भौतिक स्थिति एवं कब्जा काश्त की जांच की गई। मौके पर स्थित खसरा नं. 26 का नाम किया गया जो संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में श्रीयादेजी का मन्दिर समस्त प्रजापत समाज के नाम है। संलग्न नक्शे में दर्शाये गये नाप अनुसार ही मंदिर का इस भूमि पर कब्जा है। खसरा नम्बर 26/1 की मौके की स्थिति नक्शे अनुसार ही है। ख.नं. 26/1 के मौके पर प्रार्थीगण नारायणदास वगैरहा का कब्जा व ढाणियां, टांके वगैरहा बने हुए है। नक्शा लट्ठा ट्रेस में ख. नं. 26 व 26/1 की तरमीम भी इसी अनुरूप है। तरमीम अनुसार रकबा रेकर्ड अनुसार ही है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है।" अपीलांटस अपने खातेदारी खेत का समीज्ञान/नेखमबंदी जानबूझकर नहीं करवाना चाहता है। अपीलांटस की नियत मन्दिर में हो रहे निर्माण कार्य को रोकने की है। रेस्पोडेंटस रिकॉर्डेड खातेदार है जिसके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात गुणावगुण पर पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम एकपक्षीय स्थगन आदेश से रेस्पोडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदन में पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—

RRT 2014(1) Page 523
RRT 2018(1) Page 405
RRT 2016-17 (Supp.) Page 637

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना—पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। मूल दावे के विचारण में रहते अपीलांट के कब्जा काश्त में रेस्पोडेंटस द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील अपीलांटस के शपथ–पत्र पर विश्वास कर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2022 को अपास्त किया जाता है, उभयपक्ष को पाबंद किया जाकर हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2022 को मूल वाद के निस्तारण तक कंन्फर्म किया जाता है। अपीलाधीन आराजी की उभयपक्ष द्वारा नेखमबंदी/सीमाज्ञान करवाया जाता है तो अनुमति रहेगी। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 14.12.2022 को सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर